न्यायालय :: न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी	विजेन्द्र मीना आर.जे.एस
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नम्बर	5027/2015
नम्बरी फौजदारी प्रकरण	304/2023
सीएनआर नम्बर	RJDH170000582015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या व थाना	336/2012, थाना सरमथुरा, धौलपुर

राजस्थान राज्य बनाम राजवीर

अपराध अंतर्गत धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम

परिवादी का नाम	राजस्थान राज्य
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	राजवीर पुत्र रामदयाल निवासी हरलाल का पुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अवधेश कुमार
एफ.आई.आर. की दिनांक	10.10.2012
चालान पेश करने की दिनांक	07.10.2014
आरोप लगाने की दिनांक	08.12.2015
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	प्रारंभ दिनांक– 26.11.2018 समाप्ति दिनांक– 03.07.2026
बयान मुलजिम लिये जाने की दिनांक	03.07.2026
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	निल
बहस अंतिम की दिनांक	06.07.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	06.07.2026
निर्णय दिनांक	06.07.2026
सजा आदेश देने की दिनांक यदि हो तो	06.07.2026

अभियोजन एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण :–

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डब्ल्यू.01	कल्लूसिंह	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.02	माताप्रसाद	चश्मदीद, फर्द जब्ती
पी.डब्ल्यू.03	ओमप्रकाश	चश्मदीद, फर्द जब्ती
पी.डब्ल्यू.04	अमरसिंह	नोटिस 133 एम वी एक्ट
पी.डब्ल्यू.05	कलैक्टरसिंह	फर्द गिरफतारी मुलजिम
पी.डब्ल्यू.06	महेश सिनसिनवार	फर्द गिरफतारी मुलजिम
पी.डब्ल्यू.07	मुकेशचन्द	जमा मालखाना
पी.डब्ल्यू.08	मुंशीलाल मीणा	नक्शामौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू.09	राजेश कुमार	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू. 010	महेशचंद	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

<u>अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची</u>

अ. अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1	फर्द जब्ती ट्रेक्टर ट्रॉली
2.	प्रदर्श पी–2	नक्शामौका घटनास्थल
3.	प्रदर्श पी–3	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी भरतलाल
4.	प्रदर्श पी–4	नोटिस 133 एम वी एक्ट
5.	प्रदर्श पी–5	मुख्त्यारनामा असल
6.	प्रदर्श पी–6	फर्द गिरफतारी मुलजिम राजवीर
7.	प्रदर्श पी–7	प्राप्ति रसीद मैसर्स श्री कैला महारानी एण्ड कम्पनी
8.	प्रदर्श पी–8	मालखाना रजिस्टर
9.	प्रदर्श पी–9	नकल रपट रोजनामचा आम
10.	प्रदर्श पी–10	नकल रपट रोजनामचा की प्रमाणित प्रति
11.	प्रदर्श पी–11	जब्तशुदा माल की रवानगी वापिसी
12.	प्रदर्श पी–12	चाक एफ आई आर

ब. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
निल	निल	निल

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06.07.2026

1.– थानाधिकारी, पुलिस थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर की ओर से अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध एक आरोप पत्र धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत दिनांक 07.10.2015 को न्यायालय श्रीमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01, बाडी जिला धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहॉ से यह प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 135 दिनांकित 01.08.2022 के तहत अंतरित होकर वास्ते निस्तारण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

2.– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी एसएचओ कप्तानसिंह मय हमराहीयान जाब्ता कानि0 कल्लूसिंह 103, ओमप्रकाश 57, मय आर्म्स एम्यूनिशन मय जीप सरकारी चालक भरतलाल 80 के व हवाले रपट नं0 388 मय कम्प्रेशर मशीन व जब्तशुदा शील्ड पैकिट मार्क ए बी सी अन्तर्गत धारा 5/9 विस्फोटक अधिनियम 1884 के वापिस थाना आया व मन एसएचओ मय हमराहीयान जाब्ता उपरोक्त के वास्ते करने गश्त एडीएफ एवं रोकथान अवैध खनन व जानिक जंगल डोमपुरा,हरलालपुरा थाना से 4:00 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 04:45 पीएम पर खनन ऐरिया जंगल डोमपुरा पंहुचा तो खनन ऐरिया में से एक ट्रेक्टर फोर्ड नम्बरी आर जे 25 आर 3783मय कम्प्रेशर मशीन के आता दिखाई दिया तो ट्रेक्टर चालकएकदम जीप सरकारी व वावर्दी पुलिस को देखकर ट्रेक्टर को रोककर भागने लगा, जिसका मन एसएचओ ने हमराही जाब्ता ने काफी पीछा किया लेकिन उबड खाबड खनन ऐरिया व जंगल का फायदा उठाकर ट्रेक्टर चालक भागने में सफल रहा। मन एसएचओ मय जाब्ता के ट्रेक्टर के पास वापिस आकर ट्रेक्टर व कम्प्रेशर मशीन को चैक किया तो ट्रेक्टर फोड नम्बरी आर जे 25 आर 3783 रंग नीला में जॉइन्ट कम्प्रेश्र मशीन के टूलबॉक्स मेंदोडेटोनेटर, दो जिलेटिन एवं फयूज वायर मिला। उक्त शख्स ट्रेक्टर चालक का बिना लाईसेंस व परमीशन केउक्त विस्फोटक पदार्थ को अपने कब्जे में रखना जुर्म धारा 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम 1984 की तारीफ में आना पाये जाने पर मौके पर मिले ट्रेक्टर फोर्ड मय कम्प्रेशर मशीन ,दो डेटोनेटर,दो जिलेटिन व फयूज वायर को बरूये फर्द जब्त कर दोनों डेटोनेटर,दोनों जिलेटिनों व फयूज वायर को अलग अलग कपडे की थैली में

सील्डमौहर कर मार्कए बी सी अंकित कियाजाकर कब्जा पुलिस में लिया गया। बाद कार्यवाही मौके से रवाना होकर मय जब्तशुदा ट्रेक्टर फोर्ड व कम्प्रेशर मशीन मय शील्डशुदा पेकेट मार्क ए बी सी केवापिस थाना पर आकर मुकदमा नम्बर 336/2012 अन्तर्गत धारा 5/9 बी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में कायम किया जाकर अनुसंधान आरंभ किया गया।..........इत्यादि तथ्यों के आधार पर पेश रिपोर्ट पर पुलिस थाना सरमथुरा द्वारा मुकदमा संख्या 172/2013 अन्तर्गत धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना सरमथुरा, धौलपुर द्वारा अभियुक्त राजवीर के विरूद्ध धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 में आरोप–पत्र पेश किया गया। जिस पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3.– अभियुक्त राजवीर को धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अपराध के आरोप मौखिक रुप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4.– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.01 कल्लूसिंह, पी.डब्ल्यू.02 भरतसिंह, पी.डब्ल्यू.03 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू.04 अमरसिंह, पी.डब्ल्यू.05 कलैक्टरसिंह, पी.डब्ल्यू.06 महेश सिनसिनवार, पी.डब्ल्यू.07 मुकेशचंद व पी.डबल्यू.8 राजेन्द्र कुमार,पी.डब्ल्यू. 09 राजेश कुमार, पी.ड. 10 महेशचंद को परीक्षित करवाया गया। इसी स्तर पर अभियुक्त राजवीर के द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जिस पर प्रकरण में अन्य गवाहान की साक्ष्य बंद की गयी।

5. दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 फर्द जब्ती ट्रेक्टर मय कम्प्रेशर मशीन प्रदर्श पी–2 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी–3 बयान 161 सीआरपीसी गवाह भरतलाल, प्राप्ति रसीद मैसर्स श्री कैला महारानी एण्ड कम्पनी, प्रदर्श पी–4 नोटिस 133 एम वी एक्ट, प्रदर्श पी–5 मुख्यारनामा असल, प्रदर्श पी–6 फर्द गिरफतारी मुलजिम राजवीर,प्रदश पी–6 प्राप्ति रसीद मैसर्स श्री कैला महारानी एण्ड कम्पनी, प्रदर्श पी 7 मालखाना रजिस्टर, प्रदर्श पी 8 नकल रपट रोजनामचा आम, प्रदर्श पी

9 प्रमाणित प्रति नकल रपट रोजनामचा आम, प्रदर्श पी 10 जब्तशुदा माल की रवानगी,वापिसी, प्रदर्श पी 11 चाक एफ आई आर को प्रदर्शित करवाया है

6. अभियुक्त राजवीर के बयान अंतर्गत धारा 313 जा0फौ0 में लेखबद्ध किये गये तो उसने गवाहान की साक्ष्य सही होना बताते हुए बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर बचाव का अवसर बंद किया गया। साथ ही उसकी ओर से आरोप पत्र व अन्य फर्दों को स्वीकार भी किया गया।

7. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित हैं। गवाहान के कथनों में कोई सारभूत विरोधाभास नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर उचित दंड दिये जाने का निवेदन किया। जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया गया है। अतः उसके प्रति नरमी का रूख अपनाया जाये।

8. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

9. **प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है कि :—**

1. क्या दिनांक 10.10.2012 को समय 4.45 पी.एम. पर जंगल डोमपुरा में आपके कब्जे से ट्रेक्टर नम्बरी आर जे 25 आर 3783 की कम्प्रेशर मशीन में विस्फोटक सामग्री फयूज वायर,जिलेटिन,डेटोनेटर आदि बरामद हुए जिनको आपके पास अपने कब्जे में रखने वावत कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। और इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत् अपराध कारित किया?
2. यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?

10. उक्त अवधारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध

आरोपित अपराध के संबंध में आयी साक्ष्य का विशलेषण किया जाये तो तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 जिसके आधार पर थाना सरमथुरा द्वारा यह प्रकरण दर्ज कराया गया है, उसके अनुसार दिनांक 10.10.2012 को परिवादी कप्तानसिंह तत्कालीन एसएचओ सरमथुरा का मय जाप्ता के समय 3 पीएम पर थाना सरमथुरा से रवाना होकर गश्त व कार्यवाही अवैध खनन रोकथाम जंगल डौमपुरा,हरलाल का पुरा में करता हुआ समय करीब 4.45 पीएम बजे डौमपुरा पर पहुंचना जहां एक ट्रेक्टर फोर्ड नम्बरी आर जे 25 आर 3783 मय कम्प्रेशर मशीन के चालक द्धारा पुलिस की जीप व वावर्दी पुलिस को आता देखकर भागते नजर आना, एक व्यक्ति का पीछा करना और उबड़–खाबड़ जमीन व खानों में भागने मे सफल होना और नहीं मिलना वर्णित किया गया है। साथ ही वापिस लौटने पर ट्रेक्टर मय कम्प्रेशर मशीन को चैक करने पर उसके टूलवॉक्स में दो डेटोनेटर,दो जिलेटिन,एक फयूज वायर मिलना जिनका बिना अनुमति के अपने पास रखने पर उक्त कृत्य जुर्म धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम 1884 में पाये जाने पर उक्त समान को अलग अलग मौके पर जप्त कर अलग थैलियों में सील्ड मोहर कर मार्का ए,बी,सी अंकित करना भी उक्त रिपोर्ट में वर्णित किया गया है।

अब इस संबंध में जो साक्ष्य आयी है, उससे गवाह पी.ड.0 कल्लूसिंह, गवाह पी0ड02 भरतसिंह, गवाह पी0डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश निन्नूराम जो कि प्रकरण के चश्मदीद साक्षी हैं, के द्वारा अपने सशपथ कथनों में घटना दिनांक व समय की ताईद करते हुए घटना स्थल पर मिले ट्रेक्टर नम्बरी आर जे 25/ आर 3783 में लगी कम्प्रेशर मशीन से से जिलेटिन छड़, डिटोनेटर और फ्यूज बायर का मिलना, जिनको उनके द्वारा पृथक से जब्त कर सील मोहर किया जाना और माल को थाने पर जमा मालखाना कराया जाना बताया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू5 कलैक्टरसिंह व गवाह पी0ड0 6 महेश सिनसिनवार जो कि प्रकरण में मुलजिम की फर्द गिरफतारी के गवाह है,के द्धारा उनके सामने अनुसंधान अधिकारी महेशचंद द्धारा बरूये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 6 गिरफतार किया जाने की पुष्टि की है। कल्लूसिंह पी.डब्ल्यू 01, पी.डब्ल्यू02 भरतसिंह,,पी0डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश, राजेन्द्र जो कि घटना दिनांक को परिवादी कप्तानसिंह के साथ जाप्ता के सदस्य थे, उनके द्वारा भी घटना दिनांक व स्थल की ताईद करते हुए मौके से जिलेटिन छड़, फ्यूज बायर व डेटोनेटर बरामद करना और उनको मौके पर ही जब्त व सील

मोहर करना बताया है। इस प्रकार परिवादी कप्तानसिंह व जाप्ता के अन्य सदस्य रहे मौके के गवाहान द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 की ताईद की है। इस संबंध में इन सभी गवाहान की साक्ष्य दौराने जिरह लगभग अखण्डित रही है। नक्शामौका प्रदर्श पी–2 के अनुसार घटनास्थल जंगल डौमपुरा ग्राम हरलाल का पुरा में दिखाया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा माल को मालखाना में सील्ड अवस्था में जमा कराये जाने की पुष्टि मालखाने के गवाह पी.डब्ल्यू 09 राजेश कुमार के द्वारा की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू07 मुकेश चंद के द्वारा जब्तशुदा माल को कैला महारानी मैग्जीन में सील्डशुदा अवस्था में जमा कराया जाना बताया गया है। इस संबंध में उसके द्वारा प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–7 को भी प्रदर्शित कराया गया है। इन दोनों गवाहान की साक्ष्य भी दौराने जिरह लगभग अखण्डित रही है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 01 कल्लूसिंह, पी.डब्ल्यू 02 भरतसिंह, पी0डब्ल्यू 3 ओमप्रकाश जो घटना दिनांक को पुलिस जाप्ते के साथ मौजूद थे, उनके द्वारा भी राजवीर के जब्तशुदा ट्रेक्टर मय कम्प्रेशर मशीन के टूलवॉक्स से विस्फोटक सामग्री का बरामद होना और उसको जब्त किया जाना बताया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में गवाह पी0ड04 अमरसिंह जो कि प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर नम्बरी आर जे 25 आर 3783 का रजिस्टर्डस्वामी है के द्वारा अपने कथनों में वर्णित ट्रेक्टर को अभियुक्त राजवीर को बेचा जाना व पुलिस के द्वारा उक्त ट्रेक्टर को जब्त किया जाना व वक्त घटना मुलजिम राजवीर द्वारा ही उक्त ट्रेक्टर को चलाया जाना बताया गया है तथा स्वयं को पुलिस द्वारा दिये गये नोटिस 133 मोटर वाहन अधिनियम प्रदर्श पी 4 का जबाब स्वयं द्वारा लिखकर दिया जाना बताया है तथा प्रदर्श पी 4 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना व सी से डी स्वयं का जबाब होना अभिकथित किया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि जंगल डौमपुरा,हरलाल का पुरा पर दिनांक 10.10.2012 को समय करीब 4.45 पी.एम. के लगभग एसएचओ कप्तानसिंह द्वारा दौराने गश्त अभियुक्त राजवीर के चैतन्य आधिपत्य से ट्रेक्टर नम्बरी आर जे 25/आर 3783 में लगी कम्प्रेशर मशीन के टूलवॉक्स से जिलेटिन, डेटोनेटर व फयूज वायर को बरूये फर्द जब्ती मौके पर ही जब्त किया गया व सील्डमौहर कर मार्क ए बी सी अंकित करके। प्रकरण में उक्त सामग्री को अपने पास रखने बाबत कोई लाईसेंस अभियुक्त की ओर से पेश नहीं

किया गया है। प्रकरण में जो माल जब्त किया गया है उसके संबंध में एफएसएल रिपोर्ट भी अभियोजन की ओर से पेश की गई है, जिसको अभियुक्त के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त रिपोर्ट विशेषज्ञ द्वारा बनायी गई है जिसे प्रदर्श पी 10 के रूप से प्रदर्शित कराया गया है जो धारा 293 सीआरपीसी के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है। उक्त रिपोर्ट के खण्डन में कोई साक्ष्य अभियुक्त की ओर से पेश नहीं की गई है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जब्तशुदा सामग्री का विस्फोटक सामग्री होना प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया है एवं उसकी ओर से फर्दों को स्वीकार किया गया है।

11. अतः प्रकरण में आई साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के अनुसार व अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति को देखते हुए यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक 10.10.2012 को समय 4.45 पी.एम. पर जंगल डोमपुरा में आपके कब्जे से ट्रेक्टर नम्बरी आर जे 25 आर 3783 की कम्प्रेशर मशीन में विस्फोटक सामग्री फयूज वायर,जिलेटिन,डेटोनेटर आदि बरामद हुए जिनको आपके पास अपने कब्जे में रखने वावत कोई अनुज्ञापत्र नहीं था। और इस प्रकार अभियुक्त ने धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत् अपराध कारित किया, फलस्वरूप अभियुक्त राजवीर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

12. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियुक्त **राजवीर पुत्र श्री रामदयाल निवासी हरलाल का पुरा थाना सरमथुरा जिला धौलपुर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(विजेन्द्र मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा,
जिला धौलपुर

सजा का बिन्दुः—

13. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दंड के प्रश्न पर निवेदन किया कि अभियुक्त भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा। अभियुक्त का परिवार उस पर आश्रित है। अभियुक्त को पूर्व में किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है ना ही उसे पूर्व में किसी अपराध में परीवीक्षा का लाभ दिया गया है। अभियुक्त वर्ष 2012 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन रहा है कि अभियुक्त नवयुवक है अतः उसे धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है। इन तर्कों का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया।

14. सुना गया व पत्रावली का पुनः अवलोकन कर मनन किया गया। अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है कि उसे पूर्व में कभी भी दोषी घोषित नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा पूर्व में कभी परीविक्षा का लाभ लिया गया है। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:<u>दण्डादेश</u> :—

15. परिणामतः अभियुक्त **राजवीर पुत्र रामदयाल निवासी हरलाल का पुरा थाना सरमथुरा, जिला धौलपुर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम के आरोप में धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 10,000/—रूपये का मुचलका एवं इसी राशि की जमानत इस आशय का पेश कर तस्दीक करा ले कि वह छह माह की अवधि में शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उपस्थित रहेगा, तो उसे तुरंत दण्डित करने की बजाय परिवीक्षा पर छोडा जावे, अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 05 बाबत अभियोजन व्यय के रूप राशि 1,000 रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतेगा।

16. अभियुक्त 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् 10,000/– रूपये की राशि की जमानत व मुचलका 6 माह की अवधि के लिए न्यायालय में संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावें। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। इस प्रकरण में जब्तशुदा विस्फोटक सामग्री का बाद गुजरने म्याद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(विजेन्द्र मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा,
जिला धौलपुर

17. निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 06.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विजेन्द्र मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा,
जिला धौलपुर

SUMIT KUMAR
"Authenticated Document" Stenographer-III
Digitally signed by SUMIT KUMAR
Date: 2026.07.09 17:41:36 +0530